

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 81B/2017-18

खिरोद चन्द्र महतो बनाम पिकी महतो

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

11-11-2017

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 1673 दिनांक 24.07.2017 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 81 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता खिरोद चन्द्र महतो पिता-स्व० राम बिहारी महतो ग्राम-छोटा गम्हरिया, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोध हेतु क्रेता पिकी महतो पति-श्री अमित कुमार महतो, ग्राम-कृष्णापुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	खेसरा न०	रकबा
छोटा गम्हरिया	67	93	1013(P)	0.05.17 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता राम बिहारी महतो के नाम से पंजी-II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के हिस्से में 2.91.636 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.05.17 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.86.466 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशांसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05.17 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
सरायकेला।